



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052024-254313
CG-DL-E-22052024-254313

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1968]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 21, 2024/वैशाख 31, 1946

No. 1968]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 2024/VAISAKHA 31, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2024

का.आ. 2067(अ).—केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 281/300 कि.मी. से 332/200 कि.मी. (कांटे से वाकेड सेक्शन) तक के भूखण्ड (3अ) सेक्शन का निर्माण (चौड़ा करने, चार लेन का बनाने, आदी), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितवद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी राजापूर को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके कारण अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा अथवा अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा, और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 66 के 281/300 कि. मी. से 332/200 कि.मी. (कांटे से वाकेड सेक्शन) तक (3 (क) खंड) लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण.

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: रत्नागिरी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: लांजा					
गांव का नाम: मठ					
1	643 P	निजी	शुष्क	0.0525 (हेक्टेयर)	0.0525
गांव का नाम: कडूगाव					
2	685 P	निजी	शुष्क	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
3	824 P	निजी	शुष्क	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
गांव का नाम: पातेरेगाव					
4	15 P	निजी	शुष्क	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
गांव का नाम: कुर्णे					
5	363 / 5 Part	निजी	नॉन एग्रीकल्चर	0.2109 (हेक्टेयर)	0.2109
गांव का नाम: देवघे					
6	502 P	निजी	शुष्क	0.0035 (हेक्टेयर)	0.0035
गांव का नाम: पुरागाव					
7	223 P	निजी	शुष्क	0.0009 (हेक्टेयर)	0.0009
8	224 P	निजी	शुष्क	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
9	225 P	निजी	शुष्क	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
10	228 P	निजी	शुष्क	0.0032 (हेक्टेयर)	0.0032
गांव का नाम: वाकेड					
11	1600 P	निजी	शुष्क	0.0125 (हेक्टेयर)	0.0125
12	1610 P	निजी	शुष्क	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
13	1643 P	निजी	शुष्क	0.014 (हेक्टेयर)	0.014
14	1718 P	निजी	शुष्क	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
15	1723 P	निजी	शुष्क	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
16	1774 P	निजी	शुष्क	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
17	56 P	निजी	शुष्क	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
18	93 P	निजी	शुष्क	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005

गांव का नाम: लांजा					
19	1815 P	निजी	शुष्क	0.1675 (हेक्टेयर)	0.1675
गांव का नाम: कुवे					
20	1047 P	निजी	शुष्क	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
21	1070 P	निजी	शुष्क	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
22	1141 P	निजी	शुष्क	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
23	1359 P	निजी	शुष्क	0.002 (हेक्टेयर)	0.002
24	1680 P	निजी	शुष्क	0.119 (हेक्टेयर)	0.119
25	1719 P	निजी	शुष्क	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
26	1729 P	निजी	शुष्क	0.0005 (हेक्टेयर)	0.0005
27	1774 P	निजी	शुष्क	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
28	1776 P	निजी	शुष्क	0.0069 (हेक्टेयर)	0.0069
29	1862 P	निजी	शुष्क	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
30	1863 P	निजी	शुष्क	0.0007 (हेक्टेयर)	0.0007
31	1884 P	निजी	शुष्क	0.0119 (हेक्टेयर)	0.0119
32	1923 P	निजी	शुष्क	0.0004 (हेक्टेयर)	0.0004
33	1926 P	निजी	शुष्क	0.0002 (हेक्टेयर)	0.0002
34	1949 P	निजी	शुष्क	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
35	2454 P	निजी	शुष्क	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
36	496 P	निजी	शुष्क	0.0507 (हेक्टेयर)	0.0507
37	497 P	निजी	शुष्क	0.0015 (हेक्टेयर)	0.0015
38	502 P	निजी	शुष्क	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
39	510 P	निजी	शुष्क	0.0007 (हेक्टेयर)	0.0007
Total					0.6855

[फा. सं. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3A]

अभय जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2024

S.O. 2067(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act 1956(48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening / four-laning , etc.) maintenance, management and operations of National Highway No 66, in the stretch of land from Km. 281/300 to K.m. 332/200 (Kante – Waked Section) (3(A) Section) in the district of Ratnagiri in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Sub Divisional officer or Land Acquisition Officer Rajapur, in writing and shall set out the grounds there of and the competent authority shall give

the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority, under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km. 281/300 to K.m 332/200 (Kante – Waked Section) (3 (A) section) of the National Highway No. 66 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: RATNAGIRI		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Lanja					
Village: Math					
1	643 P	Private	Dry	0.0525 (Hectare)	0.0525
Village: Kadugaon					
2	685 P	Private	Dry	0.0005 (Hectare)	0.0005
3	824 P	Private	Dry	0.0005 (Hectare)	0.0005
Village: Pateregaon					
4	15 P	Private	Dry	0.002 (Hectare)	0.002
Village: Kurne					
5	363 / 5 Part	Private	Non Agriculture	0.2109 (Hectare)	0.2109
Village: Devdhe					
6	502 P	Private	Dry	0.0035 (Hectare)	0.0035
Village: Puragaon					
7	223 P	Private	Dry	0.0009 (Hectare)	0.0009
8	224 P	Private	Dry	0.0004 (Hectare)	0.0004
9	225 P	Private	Dry	0.0005 (Hectare)	0.0005
10	228 P	Private	Dry	0.0032 (Hectare)	0.0032
Village: Waked					
11	1600 P	Private	Dry	0.0125 (Hectare)	0.0125
12	1610 P	Private	Dry	0.001 (Hectare)	0.001
13	1643 P	Private	Dry	0.014 (Hectare)	0.014
14	1718 P	Private	Dry	0.001 (Hectare)	0.001
15	1723 P	Private	Dry	0.0005 (Hectare)	0.0005
16	1774 P	Private	Dry	0.0005 (Hectare)	0.0005
17	56 P	Private	Dry	0.002 (Hectare)	0.002
18	93 P	Private	Dry	0.0005 (Hectare)	0.0005
Village: Lanja					
19	1815 P	Private	Dry	0.1675 (Hectare)	0.1675
Village: Kuve					
20	1047 P	Private	Dry	0.0011 (Hectare)	0.0011

21	1070 P	Private	Dry	0.0006 (Hectare)	0.0006
22	1141 P	Private	Dry	0.012 (Hectare)	0.012
23	1359 P	Private	Dry	0.002 (Hectare)	0.002
24	1680 P	Private	Dry	0.119 (Hectare)	0.119
25	1719 P	Private	Dry	0.0004 (Hectare)	0.0004
26	1729 P	Private	Dry	0.0005 (Hectare)	0.0005
27	1774 P	Private	Dry	0.0001 (Hectare)	0.0001
28	1776 P	Private	Dry	0.0069 (Hectare)	0.0069
29	1862 P	Private	Dry	0.0001 (Hectare)	0.0001
30	1863 P	Private	Dry	0.0007 (Hectare)	0.0007
31	1884 P	Private	Dry	0.0119 (Hectare)	0.0119
32	1923 P	Private	Dry	0.0004 (Hectare)	0.0004
33	1926 P	Private	Dry	0.0002 (Hectare)	0.0002
34	1949 P	Private	Dry	0.0011 (Hectare)	0.0011
35	2454 P	Private	Dry	0.0006 (Hectare)	0.0006
36	496 P	Private	Dry	0.0507 (Hectare)	0.0507
37	497 P	Private	Dry	0.0015 (Hectare)	0.0015
38	502 P	Private	Dry	0.0006 (Hectare)	0.0006
39	510 P	Private	Dry	0.0007 (Hectare)	0.0007
Total					0.6855

[F.No. RW/NH-37014/20/2013-NHDP-IV A/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.